भाकृअनुप
ICAR

भाकृअनुप-भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान,
क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (RRS), बीकानेर

स्थान और पोस्टः करणी औद्योगिक क्षेत्र, रीको लिंक रोड, बीछवाल, बीकानेर-334006, राजस्थान, भारत
ई-मेलः narendrapb09@gmail.com; Storeiigr@gmail.com;
वेबसाइटः www.icar-iigr.org.in | फोनः 0285-2677200

F.No.S.P.48-15/26-27 दिनांकः 18-05-2026

खरीफ ऋतु के लिए अनुबंध आधारित खेती द्वारा मूँगफली के बीज उत्पादन हेतु सार्वजनिक नीलामी

इसके द्वारा इच्छुक किसान भाइयों/संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप-भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, करणी औद्योगिक क्षेत्र, रीको लिंक रोड, बीछवाल, बीकानेर-334 006, कार्यालय के पास लगभग 48 बीघा (भाकृअनुप- आई.आई.जी.आर, आर.आर.एसः 24 बीघा; भाकृअनुप-के.भे.ऊ.अ.स., शुष्क क्षेत्र परिसरः 24 बीघा) जमीन खरीफ ऋतु, 2026 में एक सीजन के लिए मूँगफली के बीज उत्पादन के लिए दी जानी है। अतः इच्छुक किसान भाई/संस्थाएं स्थल का निरीक्षण करें और सीलबंद लिफाफे में प्रति बीघा दर (जिसमे बिजली का बिल कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा) भरकर दिनांक 25.05.2026, सोमवार को सुबह 11 बजे तक प्रभारी, भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर को जमा करें। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट (https://www.icar-iigr.org.in) पर उपलब्ध या व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर से सभी मूँगफली बीज उत्पादन की शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीलबंद लिफाफे कार्यालय समिति द्वारा सभी किसानो की उपस्थिति में दिनांक 25.05.2026, सोमवार को सुबह 11:30 बजे खोले जायेंगे। लिफाफा खोलने से पहले सभी किसानो को 2000.0 रुपये (दो हजार रुपये मात्र) नकद जमा के रूप में जमा करने होंगे। कार्यालय फार्म निरीक्षण के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है।

प्रभारी, भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर

भाकृअनुप-के.भे.ऊ.अ.स., शुष्क क्षेत्र परिसर, बीकानेर में खरीफ 2026 सीजन में अनुबंध खेती के माध्यम से मूँगफली के बीज उत्पादन के लिए सार्वजनिक नीलामी की शर्तें

1. भाकृअनुप-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र परिसर, बीकानेर में लगभग 24 बीघा (1 बीघा: 2500 m^2) भूमि खरीफ 2026 के लिए अनुबंध पर दी जानी है। यह क्षेत्रफल घट-बढ़ भी सकता है। भुगतान वास्तविक बुवाई विस्तार पर करना होगा ।
2. भाकृअनुप-भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर कार्यालय बुवाई के लिए आवश्यक बीज की मात्रा (लगभग 80 किलोग्राम फली/बीघा) निशुल्क प्रदान करेगा, बीज की उतनी ही मात्रा कार्यालय को फसल कटाई के समय निशुल्क वापिस देनी होगी।
3. खाद-उर्वरक, दवा, कीटनाशक, मजदूरी एवं अन्य जरुरी कृषि उपकरण, ट्रेक्टर सभी खर्च अनुबंध के आधार पर भूमि रखने वाले व्यक्ति/फर्म को करना होगा ।
4. अनुबंध के आधार पर भूमि पर केवल भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान द्वारा दि गयी मूँगफली किस्म का बिज (Girnar 4/ Girnar 6/ RG 638) की ही बुवाई करनी होगी | बाहर से किसी भी किस्म का बिज लाने की अनुमति नहीं होगी ।
5. फसल के चारे को कार्यालय को निशुल्क देना होगा ।
6. फसल की सुरक्षा और आवश्यकता अनुसार नहर की सफाई की जिम्मेदारी भूमिधारक/फर्म की होगी।
7. कटाई के बाद मूँगफली को सफाई करके संस्थान द्वारा दिए गए बैग में ही वजन करके अनिवार्य जमा करनी होगी | जमा की गई मूँगफली का भुगतान कार्यालय द्वारा सरकार द्वारा उस वर्ष में घोषित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दर से किया जायेगा, जोकि वर्तमान में रूपये 7517/- प्रति क्विंटल है ।
8. भूमि जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी और आवश्यक सभी कृषि कार्य अनुबंध के आधार पर भूमि अनुबंध धारक व्यक्ति को करना होगा | सीजन समाप्त होने के बाद, भूमि को उसी स्थिति में वापस करना होगा जिस स्थिति में इसे लिया गया था।
9. सफल बोलीदाता को एक सप्ताह के भीतर कुल नीलामी राशि का 25% जमा करना होगा, तभी भूमि पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, शेष 75% फसल की कटाई के बाद 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा ।

10.कार्यालय द्वारा सभी पानी की मोटरों को एक बार चालू करके दिखाया जाएगा और फिर मरम्मत आदि की सारी जिम्मेदारी भूमि धारक की होगी और अंत में भूमि सौंपते समय सभी पानी की मोटरों को चालू हालत में सौंपना होगा।

11.अनुबंधित समय के दौरान वर्षा, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भूमिधारक/फर्म की होगी।

12.कार्यालय की तरफ से ज़मीन, बिजली, सिंचाई के लिए पानी और सिंचाई के लिए आवश्यक पाइप निशुल्क में दिए जायेगे, कोई अतिरिक्त पाइप उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जिन्हें कार्य पूर्ण होने के बाद, उन्हें स्टैंड पर व्यवस्थित करना होगा।

13.कार्यालय के पास सिंचाई के लिए नहर का पानी, दो डिग्गी और एक ट्यूबवेल उपलब्ध है ।

14.भूमि की कुल अवधि 28-05-2026 से 30-11-2026 तक या फसल कार्य पूर्ण होने तक रहेगी ।

15.यदि पूरे फसल मौसम के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी होती है, तो अनुबंधित भूमिधारक इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, आई.आई.जी.आर. कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।

16.यदि सीजन के दौरान संस्थान की किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो अनुबंधित भूमिधारक को उसकी मरम्मत करानी होगी।

17.सभी प्रकार के भुगतान कार्यालय में ऑनलाइन/आरटीजीएस के माध्यम से करने होंगे।

18.नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को शर्तों को पढ़कर एवं समझकर प्रति बीघा (2500 m^2) का मूल्य भरना होगा (जिसमें बिजली का बिल भी शामिल रहेगा, बिजली का बिल अलग से नहीं लिया जाएगा) ।

19. निदेशक, आईआईजीआर जूनागढ़ को बिना कोई कारण बताए नीलामी के किसी भी चरण में नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रभारी, आई.आई.जी.आर.,
क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर

भाकृअनुप- आई.आई.जी.आर, आर.आर.एस, बीकानेर में खरीफ 2026 सीजन में अनुबंध खेती के माध्यम से मूँगफली के बीज उत्पादन के लिए सार्वजनिक नीलामी की शर्तें

1. भाकृअनुप-भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान (आई.आई.जी.आर), क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आर.आर.एस), बीकानेर में लगभग 24 बीघा (1 बीघा:2500 m^2) भूमि खरीफ 2026 के लिए अनुबंध पर दी जानी है। यह क्षेत्रफल घट-बढ़ भी सकता है। भुगतान वास्तविक बुवाई विस्तार पर करना होगा ।
2. भाकृअनुप-भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर कार्यालय बुवाई के लिए आवश्यक बीज की मात्रा (लगभग 80 किलोग्राम फली/बीघा) निशुल्क प्रदान करेगा, बीज की उतनी ही मात्रा कार्यालय को फसल कटाई के समय निशुल्क वापिस देनी होगी।
3. खाद-उर्वरक, दवा, कीटनाशक, मजदूरी एवं अन्य जरुरी कृषि उपकरण, ट्रेक्टर सभी खर्च अनुबंध के आधार पर भूमि रखने वाले व्यक्ति/फर्म को करना होगा ।
4. अनुबंध के आधार पर भूमि पर केवल भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान द्वारा दि गयी मूँगफली किस्म का बिज (Girnar 4/ Girnar 6/ RG 638) की ही बुवाई करनी होगी | बाहर से किसी भी किस्म का बिज लाने की अनुमति नहीं होगी ।
5. फसल के चारे को कार्यालय को निशुल्क देना होगा ।
6. फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भूमिधारक/फर्म की होगी।
7. कटाई के बाद मूँगफली को सफाई करके संस्थान द्वारा दिए गए बैग में ही वजन करके अनिवार्य जमा करनी होगी | जमा की गई मूँगफली का भुगतान कार्यालय द्वारा सरकार द्वारा उस वर्ष में घोषित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दर से किया जायेगा, जोकि वर्तमान में रूपये 7517/- प्रति क्विंटल है ।
8. भूमि जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी और आवश्यक सभी कृषि कार्य अनुबंध के आधार पर भूमि अनुबंध धारक व्यक्ति को करना होगा | सीजन समाप्त होने के बाद, भूमि को उसी स्थिति में वापस करना होगा जिस स्थिति में इसे लिया गया था।
9. सफल बोलीदाता को एक सप्ताह के भीतर कुल नीलामी राशि का 25% जमा करना होगा, तभी भूमि पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, शेष 75% फसल की कटाई के बाद 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा ।

10.कार्यालय द्वारा सभी पानी की मोटरों को एक बार चालू करके दिखाया जाएगा और फिर मरम्मत आदि की सारी जिम्मेदारी भूमि धारक की होगी और अंत में भूमि सौंपते समय सभी पानी की मोटरों को चालू हालत में सौंपना होगा।

11.अनुबंधित समय के दौरान वर्षा, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भूमिधारक/फर्म की होगी।

12.कार्यालय की तरफ से ज़मीन, बिजली, सिंचाई के लिए पानी और सिंचाई के लिए आवश्यक पाइप निशुल्क में दिए जायेगे, कोई अतिरिक्त पाइप उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जिन्हें कार्य पूर्ण होने के बाद, उन्हें स्टैंड पर व्यवस्थित करना होगा।

13.कार्यालय के पास सिंचाई के लिए दो टूयूबवेल उपलब्ध है ।

14.भूमि की कुल अवधि 28-05-2026 से 30-11-2026 तक या फसल कार्य पूर्ण होने तक रहेगी ।

15.यदि पूरे फसल मौसम के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी होती है, तो अनुबंधित भूमिधारक इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, आई.आई.जी.आर. कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।

16.यदि सीजन के दौरान संस्थान की किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो अनुबंधित भूमिधारक को उसकी मरम्मत करानी होगी।

17.सभी प्रकार के भुगतान कार्यालय में ऑनलाइन/आरटीजीएस के माध्यम से करने होंगे।

18.नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को शर्तों को पढ़कर एवं समझकर प्रति बीघा (2500 m^2) का मूल्य भरना होगा (जिसमें बिजली का बिल भी शामिल रहेगा, बिजली का बिल अलग से नहीं लिया जाएगा) ।

19. निदेशक, आईआईजीआर जूनागढ़ को बिना कोई कारण बताए नीलामी के किसी भी चरण में नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रभारी, आई.आई.जी.आर.,

क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर